उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग (गंगा सेल)
संख्या-1753 सीजीए/नौ-5-2014-आर.एफ.डी./2014
लखनऊ:दिनांक-29 दिसम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

गंगा नदी संरक्षण एवं निर्मलीकरण हेतु संचालित एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी महानगरों में रीवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट योजनाओं पर निर्णय लिये जाने हेतु संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5884/नौ-5-14-13एन.जी.आर.बी.ए./2014, दिनांक-14 अक्टूबर, 2014 द्वारा समिति का गठन किया गया था। इस कार्यक्रम/योजना को गंगा नदी के किनारे बसने वाले अन्य शहरों में भी लागू करने हेतु उक्त गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न समिति के गठन की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)	संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2)	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय	सदस्य सचिव
(3)	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी	सदस्य
(4)	संबंधित नगर के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	सदस्य
(5)	संबंधित नगर के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
(6)	संबंधित नगर के क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी	सदस्य
(7)	संबंधित जिले के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता स्तर से अनिम्न स्तर का अधिकारी	सदस्य
(8)	अन्य लाइन डिपार्टमेन्ट के मण्डलस्तरीय अधिकारी (क्रमांक-8 पर उल्लिखित मण्डलस्तरीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित करने की कार्यवाही उपरोक्त समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी)	सदस्य

2. उक्त कार्यालय-ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत् प्रभावी रहेगी।

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या 1753 (1)सीजीए/नौ-5-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/सिंचाई विभाग/पर्यटन विभाग/वन विभाग/पर्यावरण विभाग, उ.प्र. शासन।
3. समस्त संबंधित नगरों के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. समस्त संबंधित नगरों के उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकारण/नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय।
5. समस्त संबंधित नगरों के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता।
6. समस्त संबंधित नगरों के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी।
7. समस्त संबंधित नगरों के प्रभागीय वनाधिकारी।
8. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल। नगर विकास अनु०-5

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
अनु सचिव।